उत्तर प्रदेश पुलिस

पुलिस अधिकारियों हेतु पैडागॉजी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

समयावधि – 01 माह

डा0 भीमराव आम्बेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी, मुरादाबाद।

पुलिस अधिकारियों हेतु पैडागॉजी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
अवधि (01 माह)

1. अन्तः एवं बाह्य विषयों के कालाँशों का विवरण

क्र0 सं0	विवरण	अवधि	
		अन्तः विषय	बाह्य विषय
1	प्रशिक्षण अवधि	01 माह	01 माह
2	कुल दिवस	30 दिवस	30 दिवस
3	समयावधि में अवकाश	05 दिवस	05 दिवस
4	परीक्षा/अन्य गतिविधि	03 दिवस	
5	प्रशिक्षण हेतु दिवस	30–08= 22 दिवस	30–08= 22 दिवस
6	प्रतिदिन के कालाँश	08 कालाँश	02 कालाँश
7	प्रति कालाँश समयावधि	40 मिनट	40 मिनट
8	**प्रशिक्षण हेतु कालाँश**	**08×22=176 कालाँश**	**02×22=44 कालाँश**

(क) अन्तः विषय के सम्पूर्ण कालाँशों एवं अंकों का विवरण

क्र0	विषय	कालाँश	पूर्णांक
1	**प्रथम समूह**–प्रशिक्षण पद्धति (सैद्धान्तिक)	36	20
	(प्रयोगात्मक)	36	20
2	**द्वितीय समूह**–भारतीय न्याय संहिता 2023/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023/भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 तथा विविध अधिनियम की महत्वपूर्ण धाराओं का आरक्षी द्वारा किये जाने वाले कार्य के दृष्टिकोण से ज्ञान तथा महत्वपूर्ण केस लॉ	42	25
3	**तृतीय समूह**– उपनिरीक्षक/आरक्षी के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अन्य महत्वपूर्ण विषयों का ज्ञान	36	20
4	**चतुर्थ समूह**– कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस	26	15
	योग–	**176**	**100**

(ख) बाह्य विषय के सम्पूर्ण कालाँशों एवं अंकों का विवरण

क्र0	विषय	कालाँश
1	योगाभ्यास (प्रातःकाल)	22
2	खेल (सायंकाल)	22
3	तैराकी (प्रशिक्षण संस्थायें उपलब्ध सुविधानुसार समय तथा कालाँशों का निर्धारण स्वयं करें)	.....
	योग–	44

<u>नोट</u>: इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि में केवल अन्तः विषयों की परीक्षा ली जाएगी एवं प्रशिंक्षणार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य होगें।

2. अन्तः कक्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की विषय वस्तु

(क) <u>प्रथम समूह</u> प्रशिक्षण पद्धति (सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक)

कालाँश–72

पूर्णांक –40

1 प्रशिक्षण का उद्देश्य एवं प्रशिक्षण के प्रति प्रेरणा

2 प्रशिक्षुओं के प्रकार एवं किये जाने वाला व्यवहार

3 प्रशिक्षक की विशेषताएं

4 अधिगम (सीखने) का अर्थ–परिणाम

5 अधिगम (सीखने) की विशेषताएं

6 अधिगम (सीखने) के नियम

7 अधिगम (सीखने) एवं प्रेरणा

8 व्याख्यान देने के विभिन्न प्रकार व उपयोगिता

9 व्याख्यान को रूचिकर/उपयोगी कैसे बनाया जाय

10 पाठ्य योजन एवं कक्षा योजन

11 कक्षा को पढ़ाने का सिद्धान्त पढ़ने से पूर्ण तैयारी, शिक्षण सूत्र

12 पढ़ाते समय मुख्य बातों का वर्णन सम्भावनायें व अध्ययन

13 सारांश एवं अभ्यास

14 लिखित कार्य और उसका सुझाव

15 व्याख्यान की आदर्श प्रस्तुति

16 शिक्षक की आवाज एवं भाषा

17 शिक्षक का पहनावा व कक्षा में प्रवेश नियम

18 पाठन सामग्री का प्रयोग

19 प्रशिक्षणार्थियों के समक्ष प्रशिक्षकों की प्रस्तुति का प्रभाव

20 प्रशिक्षण पद्धतियों का प्रस्तुतीकरण

21 व्याख्यान का मूल्यांकन कैसे किया जाए

22 आधुनिकतम प्रशिक्षण संसाधनों यथा फ़िलप चार्ट, पावर प्वाइन्ट प्रेजेन्टेशन, इंटरैक्टिव/स्मार्ट बोर्ड, केस स्टडी, परिदृश्य आदि के प्रयोग का व्यवहारिक ज्ञान

<u>नोट</u>: प्रशिक्षण के प्रारम्भ में सभी प्रशिक्षुओं को पाठ्यक्रम में से एक विषय आवंटित किया जाएगा तथा ये प्रशिक्षु प्रशिक्षण की अवधि समाप्ति के पूर्व उस संदर्भित विषय में कोर्स में बताए गए बिन्दुओं/तकनीक का प्रयोग कर 15–20 मिनट का प्रस्तुतीकरण देंगें जिसकी समीक्षा/मूल्यांकन संस्था प्रभारी द्वारा नामित समिति द्वारा किया जाएगा ।

(ख) <u>द्वितीय समूह</u>

भारतीय न्याय संहिता–2023/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 /भारतीय साक्ष्य अधिनियम–2023 तथा विविध अधिनियम की महत्वपूर्ण धाराओं का आरक्षी द्वारा किये जाने वाले कार्य के दृष्टिकोण से ज्ञान तथा महत्वपूर्ण केस लॉ

कालाँश–42 पूर्णांक–25

(क) भारतीय न्याय संहिता–2023

1. परिभाषाएं– धारा 2, विशेषकर धारा 2(3), 2(8), 2(10), 2(21)
2. साधारण अपवाद– धारा 14 से 44
3. दुष्प्रेरण, आपराधिक षडयंत्र और प्रयत्न– धारा 45, 61, 62

   (i) भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण– धारा 48
4. महिला और बालक के विरूद्ध अपराधों के विषय में

   (i) बलात्संग– धारा 63

   (ii) प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि का प्रयोग करके मैथुन– धारा 69

   (iii) सामूहिक बलात्संग– धारा 70

   (iv) कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण– धारा 72

   (v) अनुज्ञा के बिना न्यायालय की कार्यवाहियों से संबंधित किसी मामले का मुद्रण या प्रकाशन करना– धारा 73

   (vi) महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग– धारा 74

   (vii) दहेज मृत्यु– धारा 80

   (viii) किसी महिला के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना– धारा 85

   (ix) कूरता की परिभाषा– धारा 86

   (x) अपराध को कारित करने के लिए बालक को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना– धारा 95
5. मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में

   (i) आपराधिक मानव वध– धारा 100,

   (ii) हत्या / हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध – धारा 101 / 105

   (iii) उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना / सडक दुर्घटना – धारा 106, 125, 281

   (iv) संगठित अपराध– धारा 111

   (v) छोटे संगठित अपराध– धारा 112

   (vi) आतंकवादी कृत्य– धारा 113

   (vii) उपहति– धारा 114

   (viii) घोर उपहति– धारा 116, 117, 118

   (ix) सदोष अवरोध– धारा 126

   (x) सदोष परिरोध– धारा 127

   (xi) बल / आपराधिक बल / हमला– धारा 128 से 130

   (xii) व्यपहरण, अपहरण एवं दुर्व्यापार– धारा 137, 138, 143

6. भारत की सम्प्रभुता, एकता और अखण्डता को खतरे में डालने वाला कार्य– धारा 152

7. करेंसी नोट और बैंक नोट से सम्बन्धित अपराध– धारा 178 से 182

8. लोक प्रशान्ति के विरूद्ध अपराधों के विषय में

   (i) विधि विरूद्ध जमाव/बलवा/दंगा– धारा 189, 191, 194

9. लोक स्वास्थ्य एवं खाद्य पदार्थों के अपमिश्रण से सम्बन्धित अपराध– धारा 274 से 278

10. सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कार्य और गाने– धारा 296

11. सम्पत्ति के विरूद्ध अपराधों के विषय में

    (i) चोरी/झपटमारी– धारा 303, 304, 305

    (ii) उद्दापन– धारा 308

    (iii) लूट– धारा 309

    (iv) डकैती– धारा 310

    (v) सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग – धारा 314

    (vi) आपराधिक न्यास भंग– धारा 316

    (vii) छल– धारा 318

    (viii) रिष्टि– धारा 324

    (ix) आपराधिक अतिचार और गृह–अतिचार– धारा 329

    (x) गृह अतिचार और गृह भेदन– धारा 330

12. मिथ्या दस्तावेज रचना/कूटरचना– धारा 335, 336

13. आपराधिक अभित्रास एवं अपमान आदि के विषय में– धारा 351, 352

14. निरसन और व्यावृत्ति– धारा 358

<u>नोटः</u> प्रशिक्षण में भारतीय न्याय संहिता 2023 की भारतीय दण्ड संहित 1860 के सापेक्ष मुख्य विशेषताएं/अवधारणाएं/नई धाराएं/ तुलनात्मक विवरण को भी व्याख्यान में सम्मिलित किया जाएगा।

(ख) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023

1. अध्याय–1 परिभाषाएं– धारा 2(1)(क) से (य) विशेषकर
   - (i) श्रव्य तथा इलेक्ट्रॉनिक– धारा 2(1)(क)
   - (ii) जमानत– धारा 2(1)(ख)
   - (iii) जमानत पत्र– धारा 2(1)(घ)
   - (iv) बन्धपत्र– धारा 2(1)(ड)
   - (v) इलेक्ट्रॉनिक संसूचना– धारा 2(1)(झ)
2. अध्याय–5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी– धारा 35, 36, 39, 40, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 58
3. अध्याय–6 हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं–
   - (i) समन– धारा 63, 64, 66, 67
   - (ii) गिरफ्तारी का वारण्ट– धारा 72, 78, 79, 82
   - (iii) उद्‌घोषणा और कुर्की– धारा 84, 85, 86
4. अध्याय–7
   - (i) श्रव्य–दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से तलाशी और अधिग्रहण का अभिलेख करना– धारा 105
   - (ii) सम्पत्ति की कुर्की, जब्ती या वापसी– धारा 107
5. अध्याय–9 परिशान्ति स्थापित करने के लिए सदाचार के लिये प्रतिभूति– धारा 125 से 129
6. अध्याय–11 लोक व्यवस्था एवं प्रशान्ति बनाये रखना– धारा 148 से 152, 163 से 166
7. अध्याय–12 पुलिस का निवारक कार्य–
   - (i) संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी– धारा 170
   - (ii) व्यक्तियों का पुलिस के युक्तियुक्त निर्देशों के अनुरूप बाध्य होना– धारा 172
8. अध्याय–13 पुलिस को सूचना और उनकी अन्वेषण करने की शक्ति–
   धारा 173, 174, 175, 176, 179, 180, 184, 185, 187, 189, 190, 192, 193
9. अध्याय–25 कतिपय मामलो में लोक सेवकों, विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य– धारा 336
10. अध्याय–26 उद्‌घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांच, विचारण और निर्णय– धारा 356
11. अध्याय–39 निरसन और व्यावृत्तियां– इलेक्ट्रॉनिक पद्वति में विचारण और कार्यवाहियों का किया जाना– धारा 530

<u>नोट</u>: प्रशिक्षण में दण्ड प्रकिया संहित–1973 के सापेक्ष भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में सम्मिलित की गई नई धाराएं/अवधारणाएं/तुलनात्मक विवरण को भी व्याख्यान में सम्मिलित किया जाएगा।

(ग) भारतीय साक्ष्य अधिनियम–2023

1. अध्याय–1 परिभाषाएं– धारा 2 विशेषकर
   (i) दस्तावेज–धारा 2 (1) (घ)
   (ii) साक्ष्य– 2(1) (ड.)
2. अध्याय–2 तथ्यों की सुसंगति–
   (i) तथ्यों की सुसंगति के विषय में– धारा 4 से 9
   (ii) संस्वीकृतियां– धारा 22 से 24
   (iii) अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत हैं– धारा 39
3. अध्याय–5
   (i) प्राथमिक साक्ष्य धारा 57
   (ii) द्वितीयक साक्ष्य धारा 58
   (iii) इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख व उनकी ग्राह्यता– धारा 61, धारा 63
4. अध्याय–7 सबूत के भार के विषय में – धारा 108, 117, 118
5. अध्याय–10 साक्षियों की परीक्षा के विषय में – धारा 142, 143

नोटः प्रशिक्षण में भारतीय साक्ष्य अधिनियम–1872 के सापेक्ष भारतीय साक्ष्य अधिनियम–2023 में सम्मिलित की गई नई धाराएं/अवधारणाएं/तुलनात्मक विवरण को भी व्याख्यान में सम्मिलित किया जाएगा।

(घ) विविध अधिनियम

(i) केन्द्रीय अधिनियम

1. शस्त्र अधिनियम 1959 (यथासंशोधित 2019)– धारा 3 से 5, धारा 25, धारा 39, आयुध नियमावली 2016
2. स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (NDPS Act)– धारा 18/21, धारा 50
3. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980– धारा 3, 12, 13
4. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 (यथा संशोधित 2015)– धारा 2 से 4, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली 1995 नियम– 3, 5
5. किशोर न्याय (बालकों की देख रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 (यथा संशोधित 2015 एवं 2022) एवं किशोर न्याय (बालक का देखरेख एवं संरक्षण) नियमावली 2017
6. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012– धारा 2, 3, 5, 7, 9, 24
7. महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013

(ii) राज्य अधिनियम

1. उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1970– धारा 3, 4, 5, 6, 10, 11
2. उ0प्र0 सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867– धारा 2, 3 से 9, 13, 13ए, 14, 16
3. उ0प्र0 आबकारी अधिनियम 1910– धारा, 48 से 52, 54 से 70, 72
4. उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी कियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986– धारा 2 से 4, धारा 12, धारा 14 से 19 तक तथा उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली 2021 के नियम–18, 21, 26 अध्याय–5 और अध्याय–6

5. उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021– धारा 1 से 7

6. उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम 1955 (सम्पूर्ण) (यथासंशोधित 2015)– धारा 2 से 9

7. उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956– नियम 2, 3, 7, 9, 11, 20, 21, 22, 24

(ड़) महत्वपूर्ण केस लॉ

1. **दिलीप कुमार बसु बनाम बंगाल राज्य, 1997 एस०सी०सी० 642, जोगेन्द्र कुमार बनाम उ०प्र० राज्य, 1994 सी०आर०एल० जे० 1981**

   गिरफ्तारी के समय/गिरफ्तार किये जा रहे व्यक्ति के अधिकारों को इस विधि व्यवस्था में परिभाषित करते हुए महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश।

2. **ललिता कुमारी बनाम उ०प्र० राज्य 2014 (84) एसीसी 719 (एससी), श्रीमती रीना कुमारी बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य (जनपद रामपुर) रिट पिटीशन संख्याः 10792/2015**

   माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देशित किया है कि कुछ आपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर थाने का भारसाधक अधिकारी संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए बाध्य है।

3. **परमानन्द कटारा बनाम भारत संघ (ए०आइ०आर० 1989 सर्वोच्च न्यायालय पृष्ठ 2039)**

   एक दुर्घटनाग्रस्त या घायल व्यक्ति का जीवन विधिक औपचारिकताओं की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान होता है। अतः चिकित्सीय को घायल व्यक्ति का उपचार तत्काल बिना इस बात की प्रतीक्षा किया जाना चाहिए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ०आई०आर०) पंजीकृत हुई अथवा नहीं।

4. **शौकीन बनाम उ0प्र0 राज्य 2011 (75) एसीसी 763 (इलाहाबाद उच्च न्यायालय)**

   मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया है कि 7 वर्ष तक की सजा तक के अपराधों में पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए धारा 41 में दर्शाये गये आधारों का अनुपालन करना चाहिए।

5. **अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (2014) 8 एससीसी 273**

   माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी के संबंध में दिए गए विस्तृत दिशा–निर्देश।

3. तृतीय समूह उपनिरीक्षक/आरक्षी के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अन्य महत्वपूर्ण विषयों का ज्ञान

कालांश–36 पूर्णांक 20

(क) पुलिस कर्तव्य एवं दायित्व

1. थाने के अभिलेखों– सामान्य दैनिकी, प्रथम सूचना रिपोर्ट, अपराध रजिस्टर, ग्राम अपराध पुस्तिका (रजिस्टर न0–8), सम्पत्ति रजिस्टर, बीट सूचना रजिस्टर, मालखाना रजिस्टर आदि का ज्ञान
2. आरक्षी की बीट बुक का ज्ञान
3. हिस्ट्रीशीटरों के प्रकार और उनकी निगरानी के तरीके
4. पुलिस उपनिरीक्षक/आरक्षी द्वारा अपनी सेवाकाल में किये जाने वाले कार्यों का विवरण
5. आरक्षी को अपनी नवनियुक्ति पर क्या–क्या कार्य करने आवश्यक हैं ?
6. आपराधिक सूचनाओं का एकत्रीकरण, उनके स्रोत एवं उपयोगिता
7. अपराधियों की खोज के तरीके, उसमें आरक्षियों का योगदान (सुरागरसी का कार्य)
8. गश्त के प्रकार, गश्त के नियम एवं उनके लाभ
9. निगरानी का अर्थ, प्रकार, तरीके एवं उनके उद्देश्य
10. त्यौहारों का प्रबन्ध एवं अपराध पर नियंत्रण
11. कानून व्यवस्था का अर्थ, कानून व्यवस्था बनाये रखने का उत्तरदायित्व।
12. भीड़ का अर्थ, प्रकार एवं भीड़ का मनोविज्ञान
13. भीड़ नियंत्रण के सिद्धान्त एवं जवाबी रणनीति
14. विभिन्न प्रकार के आंदोलनों यथा छात्र, किसान, श्रमिक, राजनैतिक की विषमताएं एवं पुलिस प्रबन्ध
15. साम्प्रदायिक तनाव एवं दंगों में पुलिस द्वारा प्रबन्ध
16. अभियुक्तों से पूछताछ में बरती जाने वाली सावधानियाँ जिससे अभिरक्षा में मृत्यु न होने पाये
17. पुलिस की प्रमुख समस्यायें और उनके निराकरण में उपनिरीक्षक/आरक्षी का योगदान

(ख) विधि विज्ञान

1. विधि विज्ञान की परिभाषा, प्रकार, निरीक्षण के नियम एवं विधियां, घटनास्थल की सुरक्षा से लाभ
2. घटनास्थल पर मलबा, रेशे, कपड़े, धूल, शीशा, पेन्ट, तार, जलाव शेष, रक्त, अस्थि, माँस के टुकड़े, लकड़ी, धातु के टुकड़े आदि सुरक्षित रखना एवं एकत्र करना तथा साक्ष्य में इनकी उपयोगिता
3. विषों का वर्गीकरण तथा अपराधों में प्रयोग किये जाने वाले विष (मृत एवं जीवित व्यक्तियों के सम्बन्ध में) के प्रकार एवं उनकी पहचान– मुख्यतः आर्सेनिक, सल्फास, धतूरा, कीटनाशक इत्यादि एवं उनका मेडिको–लीगल दृष्टि से ज्ञान तथा जहर खुरानी अपराधों में सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली दवाइयाँ इत्यादि
4. चोटों का वर्गीकरण तथा चोटों के प्रकार एवं लक्षण तथा मृत्यु से पूर्व एवं मृत्यु के बाद आयी चोटों का ज्ञान
5. मृत्यु के कारण, हत्या/आत्महत्या/दुर्घटना, स्वाभाविक (प्राकृतिक) मृत्यु
6. मृत्यु के प्रकार एवं लक्षण–दम घुटने से गला घोटकर श्वासरोध (थ्राटलिंग), फाँसी लगाकर मृत्यु (हैंगिंग)
7. मृत्यु के समय का निर्धारण करना तथा मृत व्यक्तियों की पहचान।

(ग) प्राथमिक चिकित्सा

1. दुर्घटना/अन्य परिस्थितियों में प्राथमिक उपचार
2. एबीसी (ABC) का नियम व सीपीआर (CPR) –
   (i) A - Airway श्वांस नलिका की जाँच
   (ii) B - Breathing श्वांस की जॉच
   (iii) C - Circutation रक्त संचार की जाँच

4. चतुर्थ समूह — कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस

कालाँश–26 | पूर्णांक–15

(क) कम्प्यूटर प्रशिक्षण

1. कम्प्यूटर के प्रकार, गुण तथा कम्प्यूटर बन्द करने व खोलने का ज्ञान।
2. कम्प्यूटर साफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, सेन्ट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आइकॉन को ड्रैग करना/ड्रॉप करना, कट/कॉपी/पेस्ट करना
3. डेस्कटॉप की बैक ग्राउण्ड बदलना, एसेसरीज में कैलकुलेटर ऑन स्क्रीन, कीबोर्ड, आईकॉन को खोलना, खोले गये आईकॉन विन्डो को क्लोज करना, री–स्टोर करना, मैक्सिमाइज करना, मिनीमाईज करना आदि।
4. माइक्रोसाफ्ट वर्ड प्रोग्राम को खोलना, हिन्दी/अंग्रेजी में टाइप करना, टाईप की हुई गलतियों को स्पैलिंग चेक विकल्प की सहायता से ठीक करना, टाईप किये गये टैक्स्ट को सलेक्ट करना, टैक्स्ट को कट/कॉपी पेस्ट करना तथा फॉरमेटिंग करना/डिलीट करना, Undo / Redo बटनों का प्रयोग, बैक स्पेस का प्रयोग, फाइल को डेस्कटॉप पर सेव करना तथा फाइल को प्रिन्ट करना।
5. पावर प्वाइंट को स्टार्ट करना, स्लाइड जोड़ना, टाइप करना, Hyperlink बनाना, स्लाइड में फोटो/वीडियो सम्मिलित करना, स्लाइड का लेआउट सेट करना, स्लाइड को डिजाइन करना तथा स्लाइड शो को चलाना
6. गूगल सर्च इंजन की जानकारी तथा उसके माध्यम से किसी भी जानकारी को सर्च करना तथा सर्च की गई वेबसाइट को एक्सेस करना।
7. उ0प्र0 पुलिस/एनसीआरबी की वेबसाइट को एक्सेस करना।
8. सी0सी0टी0एन0एस0 के सम्बन्ध में आवश्यक ज्ञान/पुलिस द्वारा प्रयोग किए जा रहे ऐप/साफ्टवेयर।

(ख) इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस

1. मोबाईल फोन सेवा की कार्य प्रणाली एवं प्रकार
2. इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस– कानूनी प्राविधान, विधि एवं कार्य प्रणाली तथा उपयोगिता
3. सीसीटीवी फुटेज प्राप्त करना एवं विश्लेषण करना

(ग) अन्य विषय

(i) डायल 112 व 1090 की जानकारी
(ii) साइबर अपराध का सामान्य ज्ञान व हेल्पलाइन नम्बर 1930 तथा साइबर क्राइम पोर्टल की जानकारी
(iii) जीपीएस का प्रयोग
(iv) डिजिटल साक्ष्य– परिचय, उपयोगिता, एकत्र करना, संरक्षित करना

****

(प्रशान्त कुमार)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ